भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 98

25.11.2024 को उत्तर के लिए

तटीय राज्यों के लिए विशेष नीति

98. श्री चरनजीत सिंह चन्नीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि तटीय राज्य हर साल प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार के पास तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए कुल नुकसान का कोई आंकड़ा है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन नुकसानों को कम करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावित लोगों को प्रदान की गई कुल सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तटीय राज्य हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं।

आपदा प्रबंधन राज्य का विषय है और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में राज्यों की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। हालांकि, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों की जरूरतों के अनुसार उनके प्रयासों में सहयोग करती है। सरकार ने अपने निरंतर प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में अत्यधिक सुधार किया है। आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 के अधिदेश के अनुसार, निवारण, उपशमन, तैयारी और प्रतिक्रिया की पद्धति के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा उन्मुख और प्रौद्योगिकी संचालित कार्यनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) जारी की गई थी।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए उपयुक्त तैयारी, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करने के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जैसी संस्थागत प्रणालियां हैं। केंद्रीय सरकार ने आपदा की आशंका वाली स्थितियों या आपदाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की भी स्थापना की है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने आपदा प्रबंधन पर इसके सभी पहलुओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर नीति और विभिन्न दिशा-निर्देश निर्धारित करने सहित विभिन्न कार्य/पहल की

है। एनडीएमए राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य तटीय समुदायों की चक्रवातों और अन्य जल-मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में आपदाओं के लिए प्रभावी रूप से योजना बनाने और उनकी प्रतिक्रिया देने के लिए राज्य संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना है। एनडीएमए ने भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप और बाढ़ संभावित सभी राज्यों को शामिल करते हुए आपदा प्रतिक्रिया में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'युवा आपदा मित्र योजना' शुरू की है।

मौसम संबंधी आपदाओं का समय पर पता लगाने और उनकी पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार लाने के लिए, आईएमडी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्य केंद्रों ने समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं को लागू किया है। 'वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान- मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं- एक्रॉस' परियोजना और हाल ही में शुरू किया गया मौसम मिशन ऐसी ही परियोजनाओं में आते हैं। एक्रॉस का उद्देश्य मौसम और जलवायु सेवा में आधुनिकीकरण, विस्तार और सुधार करना है। मौसम मिशन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और चरम स्थिति की मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करके कृषि, सिंचाई, पोत परिवहन, जल संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य, विमानन, परिवहन क्षेत्र, आपदा प्रबंधन, अपतटीय तेल प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न मौसम और जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों की सहायता करना है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों,तेज तूफान, धूल भरी आंधी, भारी बारिश और बर्फबारी की घटनाओं, ठंड और गर्मी की लहरों आदि जैसी गंभीर मौसम की घटनाओं के लिए समुदायों की अनुकूलन क्षमता को मजबूत करना है।

गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों से आपदा से होने वाले नुकसान आदि पर क्षेत्रवार डेटा एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) शुरू की गई है।

राज्य सरकारें, प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ), जिसके व्यय का अधिकार पहले से ही राज्यों को दिया गया है, से भारत सरकार की स्वीकृत मदों और मापदंडों के अनुसार राहत उपाय करती हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 01.10.2024 तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2024-2025 के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से आवंटित और जारी धनराशि का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(रूपए करोड में)

	एसडीआरएफ का आवंटन			**एसडीआरएफ से जारी धनराशि**		**एसडीआरएफ से जारी धनराशि**
	केन्द्रीय हिस्सा	**राज्य हिस्सा**	**कुल**	**पहली किस्त**	**दूसरीकिस्त**	
कुल	**20,550.40**	**6,291.20**	**26,841.60**	**10,728.00**	**4,150.40**	**4,043.37**

= इसमें पिछले वर्ष का बकाया शामिल है

****